



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/411

07/08/2025

प्रति
प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/
सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: वर्ष 2026-2027 के लिए बजट पूर्व प्रस्ताव (राजस्व संबंधी) के संबंध में।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वर्ष **2026-2027** के लिए **बजट-पूर्व प्रस्ताव (राजस्व-संबंधी) वाणिज्य विभाग** द्वारा प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रस्ताव **केवल नीचे दिए गए प्रारूप** के अनुसार ही प्रस्तुत करें:

क्रमांक	उत्पाद का नाम	एचएस कोड(एस) प्रासंगिक प्रावधान	प्रस्तावों	मौजूदा दरें	प्रस्तावित दरें	कारण/ औचित्य	राजस्व निहितार्थ, यदि कोई हो	निर्यात पर संभावित प्रभाव	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो

कृपया ध्यान दें कि बजट-पूर्व प्रस्ताव विशेष रूप से राजस्व मामलों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, शुल्क, प्रक्रियात्मक सरलीकरण आदि से संबंधित होने चाहिए।

प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित अतिरिक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

1. प्रस्ताव **सभी प्रकार से पूर्ण** होने चाहिए, उचित रूप से वर्गीकृत होने चाहिए, और जहाँ भी लागू हो, प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रासंगिक **एचएस कोड** शामिल होने चाहिए।
2. प्रत्येक प्रस्ताव का **औचित्य 300 शब्दों** तक सीमित होना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त विवरण अनुलग्नक में दिए जा सकते हैं।
3. **प्रशासनिक प्रभाग उद्योग की अपेक्षाओं** और **निर्यात संवर्धन हेतु उनकी प्रासंगिकता** के आधार पर प्रस्तावों को प्राथमिकता दे सकता है।
4. ऐसे मुद्दे जो पिछले वर्षों में बार-बार उठाए गए हैं, लेकिन स्वीकार नहीं किए गए हैं, उन्हें शामिल **नहीं** किया जाना चाहिए।

इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे 13 अगस्त, 2025 तक अपने इनपुट नीचे हस्ताक्षरकर्ता को bharti@plexconcil.org पर भेजें।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद